भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1297
दिनांक 27 जुलाई, 2023

वाणिज्यिक एलपीजी मूल्य

†1297. श्री डी.के. सुरेश:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में नरमी के बीच वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का घरेलू एलपीजी के मूल्य को कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ) भारत अपनी घरेलू एलपीजी खपत के 60% से अधिक का आयात करता है जहां घरेलू एलपीजी के लिए सरकार उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है। वहीं वाणिज्यिक एलपीजी के मूल्य एलपीजी विपणन कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित किए जाते हैं।

जहां दिल्ली में जून और जुलाई, 2023 माहों के लिए घरेलू एलपीजी सिलिंडर का खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) 1103 रुपये प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर था और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वहीं दिल्ली के लिए वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर का मूल्य जून, 2023 में 1773 रुपये से बढ़कर जुलाई, 2023 में 1780 रुपये प्रति 19 कि.ग्रा. सिलिंडर हो गया।

एलपीजी के लिए लाभ का सीधा अंतरण (डीबीटीएल) योजना के तहत यथा स्वीकार्य राजसहायता, पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाती है। इसके अलावा सरकार ने दिनांक 21 मई 2022 से वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 12 रीफिल्स हेतु 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता शुरू की है।

***